संख्या-28/2023/आई/430495/2023-फा0नं0-10-22099/415/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 नवम्बर, 2023

विषयः- सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई राहत।

महोदय,

शासनादेश संख्या-7/2016-सा-3-180/दस-2016-308(06)/2000 दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महँगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा।

2- शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहें है कि राज्य सरकार के पारिवारिक पेंशनरों की भांति परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/ शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी वेतन पर महँगाई भत्ते के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान अनुमन्य किया जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों, जिनकी पेंशन के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा परिषदीय विद्यालयों / शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं / राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महँगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) -द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2)- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3)- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4)- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5)- अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
(6)- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।